



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

## पांच प्रकरणों/वादों में सतत पैरवी कर करायी गयी सजा

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप विगत माह में 05 प्रकरणों/वादों में माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर सजा सुनायी गयी है। विवरण निम्नवत् है:-

1. हत्या/दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा- थाना हरगांव से सम्बन्धित मु0अ0सं 159/14 धारा 302/376/404 भादवि बनाम खिल्ली उर्फ बिहारी पुत्र भज्जा नि0 निगोहा थाना हरगांव में हरगांव पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 22.12.2020 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय श्रीमान ASJ 17/PCSO ACT द्वारा अभियुक्त खिल्ली उर्फ बिहारी उपरोक्त को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये आर्थिक दंड सजा सुनायी गयी।
2. दहेज हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा- थाना कमलापुर से सम्बन्धित मु0अ0सं0 278/12 धारा 498A/304B/302 भादवि व 3/4 डीपीएक्ट भादवि बनाम विकास शुक्ला पुत्र लल्लन नि0 पताराकलां थाना कमलापुर में कमलापुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 22.12.2020 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय न्यायालय श्रीमान FTC (NEW) द्वारा अभियुक्त विकास शुक्ला उपरोक्त को आजीवन कारावास व आर्थिक दंड सजा सुनायी गयी।
3. दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास की सजा-थाना महमूदाबाद से सम्बन्धित मु0अ0सं0 80/15 धारा 376/366/506 भा.द.वि. बनाम भानू प्रताप सिंह उर्फ भानू वर्मा पुत्र गनेश प्रसाद वर्मा नि0 मीरानगर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर में महमूदाबाद पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 22.12.2020 को विचारण

पूर्ण कर मा० न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट-16 श्री दिनेश सिंह चौहान द्वारा अभियुक्त भानू प्रताप उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 376 भा.द.वि में 10 वर्ष कठोर कारवास एवं 10,000/-रु० जुर्माना व धारा 366 भा.द.वि. के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000/- रु० जुर्माना व धारा 506 भा.द.वि. के अपराध में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000/- रु० के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

4. **विस्फोटक अधिनियम के अभियुक्त 09 वर्ष कारावास की सजा-** थाना तालगांव से सम्बन्धित मु०अ०सं० 1/2002 धारा 5 विस्फोटक अधिनियम बनाम सोबरन नि० तालगांव में तालगांव पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 22.12.2020 को विचारण पूर्ण कर मा० न्यायालय न्यायालय श्रीमान ASJ 12 द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 09 वर्ष के कारावास व 4,000/- रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनायी गयी।
5. **03 शोहदों को अंतर्गत धारा 294 में करायी गयी सजा-** थाना मिश्रित से सम्बन्धित मु०अ०सं० 258/07 धारा 294 भादवि बनाम अवधेश व मु०अ०सं० 105/12 धारा 294 भादवि बनाम रामहेत व ननहक्के में मिश्रित पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 22.12.2020 को विचारण पूर्ण कर मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को बितायी गयी अवधि के अतिरिक्त 500/- रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनायी गयी।